

किरम मुकदमा प्राथना पत्र 111-129 नं० 204 सन् 2020

क्रमांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्ल जज

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुकम की तारीख
 में जारी हुए

11-20

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर
 विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जायें। पत्रावली दिनांक 15.12.20 को
 पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
 सहायक कलक्टर माण्डल

15/12/20

गंठारीन अधिकारी राजकीय
 कार्यालय से कार्य प्रतिकाश पर है / पत्रिका
 क्रमांक: पत्रावली दिनांक 24.12.20 को पेश हो।
 गीउर
 उपखण्ड अधिकारी माण्डल

24/12/20

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
 न्यायिक कार्य स्थगित/दिल्वार रखने
 से पत्रावली दिनांक 24/12/20 को पेश हो।

9/2

पत्रावली पेश हुई, कौल प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के
 सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल
 पत्रावली दिये गये, तत्कालीन माण्डल परिवार हल्का
 जुवाला परिवार द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे
 शामिल पत्रावली दिया गया। अप्रार्थीगण को फिल्टर
 मारती आवाजें दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित
 नहीं, इसके बिकर एक तरफा कार्यवाही दिये जाने
 के आदेश दिये जाते हैं कौल प्रार्थी का प्रार्थना
 पत्र स्वीकार किया जाकर विनियम 87 से लिखा
 जाकर शामिल पत्रावली दिया गया। पत्रावली फिल्टर
 मार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
 माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठारीन अधिकारी - जो पृ. 11-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

सुकदमा संख्या - 204/20 प्रा.पत्र

श्री देवकराज/श्री गोपी गोनी निवासी - दुवाला तहसील - माण्डल

- प्रार्थी

बनाम

श्री रामनाथ/श्री कालू बैरवा निवासी - दुवाला तहसील - माण्डल [कौरा]
(संलग्न प्रकृष्ट संकेत)

- विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 29-01-2021

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम दुवाला पटवार हल्का दुवाला तहसील माण्डल में उसके/संयुक्त खाते की आराजी न 2350, 2351 कुल कित्ता 02 रकबा 01 11 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा नहीं होने से आये दिन सीमा सबधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19-11-2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए क की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम दुवाला हल्का दुवाला तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न 2350, 2351, कुल कित्ता 02 रकबा 02 बीघा 11

बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक माण्डल को 300/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत कर।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा